मु.नं.–38 / 2021 GCMS ID-2021/69 ता.रजु–24.05.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

दिनेश चंद सैनी पता वैधवाड़ा, बाघा का हनुमान, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली (राज.) – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार हिण्डौन सिटी – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–26.08.2021

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने की व्यवस्थाओं में एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी को दिनांक 09.06.2021, 16.06.2021, 23.06.2021, 30.06.2021, 07.07.2021, 14.07.21, 22.07.21, 29.07.21, 05.08.21, 18.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार हिण्डौन सिटी को आवेदन पत्र प्रेषित कर नगर परिषद, हिण्डौन सिटी के अधीन सिवायचक, गै.मु. रास्ता एवं सार्वजनिक जमीन की पृथक पृथक सूचियां, खसरा नंबर, नक्शा ट्रेस, वर्तमान स्थिति, अतिक्रमण है या अतिक्रमण मुक्त है, अतिक्रमियों के नाम, पते, मो.नं., आदि की प्रमाणित प्रतियां आदि सहित कुल 6 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि (i) अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 15.04.2021 को प्राप्त हुआ। आवेदन के दौरान कोरोना महामारी अधिनियम के तहत सम्पूर्ण राजस्थान में लॉकडाउन होने से कार्यालय में उपस्थिति हेतु 25 प्रतिशत कार्मिक ही अनुमत थे जिससे अपीलार्थी द्वारा चाहे गये सम्पूर्ण रिकॉर्ड का चिन्हीकरण कर उनकी गणना किया जाना तथा प्रतिलिपियों की संख्या एवं नकल शुल्क का आंकलन नहीं हो पाया।
   (ii) अपीलार्थी को पत्रांक–भू.अ./2021/1852 दिनांक 29.04.2021, राजस्व/2021/ 147 दिनांक 29.04.2021, एलआर/2021/2270 दिनांक 02.06.2021, राजस्व/2021/ 676 दिनांक 02.06.2021 द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित रिकार्ड के चिन्हीकरण हेतु लिखा गया है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाहे गये रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियों की विविधता एवं संख्या अत्यधिक होने के कारण उसके द्वारा रिकॉर्ड का चिन्हीकरण कराया जाना आवश्यक है ताकि प्रतिलिपियों की संख्या एवं नकल शुल्क का आंकलन किया जाकर अभ्यर्थी को चाहे गये रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवायी जा सकें। अंत में अपील अपीलार्थी को निरस्त फरमाने एवं अपीलार्थी को रिकॉर्ड का चिन्हीकरण करने हेतु उपस्थिति बाबत् पाबंद फरमाने हेतु निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना विस्तृत है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के रिकार्ड का अवलोकन करने वांछित सूचना चिन्हित करने हेतु प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक–भू.अ./2021/1852 दिनांक 29.04.2021, राजस्व/2021/147 दिनांक 29.04.2021, एलआर/2021/2270 दिनांक 02.06.2021, राजस्व/2021/676 दिनांक 02.06.2021 द्वारा सूचित किया जा चुका है लेकिन अपीलार्थी द्वारा सूचना चिन्हित नहीं की गई है। अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद इस न्यायालय में न तो उपस्थित हुआ है और न ही अन्यथा कोई प्रतिकार पेश किया गया है। इससे विदित होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी के विनिश्चय से संतुष्ट है।
7. अतः अपील, अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे प्रत्यर्थी के कार्यालय में रिकॉर्ड का अवलोकन कर वांछित सूचना चिन्हित करें। प्रत्यर्थी को आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के उपस्थित होने पर रिकॉर्ड का अवलोकन करवाकर चिन्हित सूचना प्रदान करे।
8. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली